न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 56/2026(GCMS : 2026/ 125)

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 201, 202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर मानसरोवर इंडस्ट्रियल ऐरिया, जयपुर–302020 **स्थानीय शाखा** नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर, शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि महेश शर्मा

बनाम

1. **कमला** पत्नी श्री रणजीत राम निवासी वार्ड नं. 09, 11 एस.जी.ए. सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335705 अन्य पता पट्टा संख्या 75 स्थित वार्ड 09, ग्राम पंचायत सरदारगढ़ तहसील जिला श्रीगंगानगर
2. **रणजीत** पुत्र ओम प्रकाश निवासी वार्ड नं. 09, 11 एस.जी.ए. सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335705

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.04.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेन्द्र मूण्ड ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण कमला एवं रणजीत को ऋण सुविधा के रूप में 2.56/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 31.12.2023 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के ऋण खाते में दिनांक 06.12.2025 को 2,70,666/– रूपये की ऋण राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी कमला द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 75 स्थित वार्ड 09, ग्राम पंचायत सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसके उत्तर दिशा में जानकी देवी, दक्षिण दिशा में स्वयं का भूखण्ड व सड़क, पूर्व दिशा में काली देवी, पश्चिम दिशा में रामकुमार है, जिसका साईज 1320 वर्गफुट है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिससे विदित है कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण कमला एवं रणजीत** को ऋण सुविधा के रूप में 2.56/– लाख रूपये (अक्षरे रूपये दो लाख छप्पन हजार मात्र) **की स्वीकृति दिनांक 31.12.2023 को प्रदान की गई थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कमला ने अपनी अचल **सम्पत्ति पट्टा संख्या 75 स्थित**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वार्ड 09, ग्राम पंचायत सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसके उत्तर दिशा में जानकी देवी, दक्षिण दिशा में स्वयं का भूखण्ड व सड़क, पूर्व दिशा में काली देवी, पश्चिम दिशा में रामकुमार है, जिसका साईज 1320 वर्गफुट है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.12.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की विधिक तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी कमला की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 75 स्थित वार्ड 09, ग्राम पंचायत सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसके उत्तर दिशा में जानकी देवी, दक्षिण दिशा में स्वयं का भूखण्ड व सड़क, पूर्व दिशा में काली देवी, पश्चिम दिशा में रामकुमार है, जिसका साईज 1320 वर्गफुट है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 06.12.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 06.12.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने की धारा 1[illegible] नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक [illegible] जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) [illegible] प्राप्ति के पोस्ट ऑफिस ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जि[illegible] अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है, इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया में

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

दिनांक 16.12.2025 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **कमला** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी कमला द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल पट्टा संख्या 75 स्थित वार्ड 09,ग्राम पंचायत सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज) जिसके उत्तर दिशा में जानकी देवी, दक्षिण दिशा में स्वयं का भूखण्ड व सड़क, पूर्व दिशा में काली देवी, पश्चिम दिशा में रामकुमार है, जिसका साईज 1320 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:19 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर